न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना।

आदेश

जिले में अत्यधिक ठंड का मौसम और कम तापमान की स्थिति बनी हुयी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 772, दिनांक 19.01.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए मैं, डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह, जिला दण्डाधिकारी, पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा–163 के तहत पटना जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री–स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग–8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 23.01.2025 तक प्रतिबंध लगाता हूँ। वर्ग–8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 09:00 बजे से अपराह्न 03:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है। बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन इससे मुक्त रहेगा।

उपर्युक्त आदेश पटना जिले में दिनांक 22.01.2025 से लागू होगा एवं दिनांक 23.01.2025 तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश दिनांक 21.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।

ह0

(डॉ0 चन्द्रशेखर सिंह)
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक......................./विधि पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, पटना जिला/सभी थानाध्यक्ष, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, पटना को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक 876 /विधि पटना, दिनांक– 21.01.2025

प्रतिलिपि– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

21/1/25

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

DISTRICT MAGISTRATE
PATNA